राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

क्रमांक : एफ. 7(01) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक / (स्कूल शिक्षा) / 2018–2019 / 2921 दिनांक :15.01.2021

प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रति0 परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 13.04.2018 तथा शुद्धि पत्र दिनांक 19.09.2019 के क्रम में प्राध्यापक–कृषि हेतु आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो उक्त पद हेतु आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, **(पूर्व में जारी उक्त विषय की विचारित सूची दिनांक 28.07.2020 में सम्मिलित 660 अभ्यर्थियों को छोड़कर)** शेष सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.01.2021 से 25.01.2021 तक कृषि विषय में स्नातकोत्तर व बी0एड0 योग्यता के संबंध में सूचना निम्नांकित प्रारूप में भरकर, कृषि विषय में स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) की अंकतालिका, उपाधि / प्रोविजनल प्रमाण–पत्र तथा बी0एड0 (अंतिम वर्ष) की अंकतालिका, उपाधि / प्रोविजनल प्रमाण–पत्र की प्रति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के Email ID–feedback.rpsc@rajasthan.gov.in पर निम्न प्रारूप सहित अपलोड करते हुए ईमेल करें एवं ईमेल के Subject में Regarding School Lecturer Subject-Agriculture required documents का अवश्य उल्लेख करें अथवा व्यक्तिशः आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अभ्यर्थियों के रोल नं. की सूची आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार सूचना अंकित करते हुए, इसके साथ स्नातकोत्तर (कृषि) अंतिम वर्ष तथा बी0एड0 अंतिम वर्ष की अंकतालिका, उपाधि / प्रोविजनल प्रमाण–पत्र की प्रति आवश्यक रूप से अपलोड / संलग्न करें :–

क्र0सं0	विवरण	
01	अभ्यर्थी का नाम	
02	रोल नम्बर	
03	स्नातकोत्तर (कृषि) अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष एवं परिणाम जारी होने की दिनांक	
04	शिक्षा स्नातक (बी0एड0) अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण एवं वर्ष एवं परिणाम जारी होने की दिनांक	
05	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	

उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में उक्त सूचना आवश्यक रूप से प्रेषित करें अन्यथा उक्त सूचना प्रेषित नहीं किये जाने वाले अभ्यर्थियों को अन्य कोई अवसर देय नही होगा और कोई अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में ऑनलाईन / व्यक्तिशः आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे प्राध्यापक–कृषि विषय हेतु आगामी चयन प्रक्रिया में विचारित नहीं किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वंय की होगी।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव